



An ISO 9001:2015 certified



## झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834004

दूरभाष:- 0651-2444501, 2444502

ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

पत्रांक : ME/01/1183/2023/ 465

दिनांक: ..13../02/2024

प्रेषक,

किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से.  
राज्य परियोजना निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
झारखण्ड।

**विषय-** राज्य के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों (CM School of Excellence) में वर्ष 2024-25 हेतु नामांकन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित जिलास्तरीय 80 उत्कृष्ट विद्यालयों जो कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सम्बद्धता प्राप्त कर संचालित किए जा रहे हैं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। राज्य के इन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकित 04 कोटि के विद्यालय सम्मिलित हैं-

क्र०सं०	विद्यालय की श्रेणी	विद्यालयों की संख्या
1	जिला स्कूल/ जिला स्कूल के तर्ज पर उत्कृष्ट शिक्षण के केंद्र	25
2	जिला मुख्यालय का एक बालिका माध्यमिक/+2 विद्यालय	24
3	जिला मुख्यालय का एक के०जी०बी०भी०	24
4	प्रमण्डल का एक मॉडल स्कूल	07
	कुल	80

2. इन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में विद्यालयों के संचालन का स्तर अलग-अलग है जो निम्नवत् है-

क्र०सं०	विद्यालय संचालन का कक्षा	संख्या
1	कक्षा 1 से कक्षा 12	04
2	कक्षा 9 से कक्षा 12	27
3	कक्षा 6 से कक्षा 12	48
4	कक्षा 1 से कक्षा 10	01
	योग	80

- विद्यालयों के वर्तमान क्षमता एवं बच्चों के नामांकन को देखते हुए उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन हेतु सीटों की उपलब्धता के संबंध में विवरणी तैयार जा रही है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने नियंत्रणाधीन CM School of Excellence के प्रधानाध्यापक एवं स्कूल मैनेजर (जहाँ कार्यरत हैं) के साथ समीक्षा बैठक कर वर्तमान नामांकन की स्थिति, स्थान की उपलब्धता एवं विद्यालय के संचालन स्तर को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र

24



An ISO 9001:2015 certified



झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834004

दूरभाष:- 0651-2444501, 2444502

ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

2024-25 हेतु नामांकित की प्रक्रिया निम्न दिशा-निदेशों का पालन करते हुए सुनिश्चित करायेंगे :-

- i. कक्षा 9 से 12 तक संचालित होने वाले इस विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कक्षा 9 में नामांकन लिया जा सकता है।
  - ii. कक्षा 6 से 12 तक संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6 में नामांकन लिया जा सकता है।
  - iii. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में कुल स्वीकृत 75 सीटों में से 25 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीटों पर मेधावी छात्राओं को इन जिला स्तरीय उत्कृष्ट कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में उत्कृष्ट विद्यालयों के कक्षा 6 में नामांकन लिया जाएगा। इस हेतु चयन चयन की कार्रवाई चयन परीक्षा के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा की जायेगी। चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र राज्यस्तर से जे.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
  - iv. 07 उत्कृष्ट मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 हेतु चयन JAC द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। उक्त के बाद भी यदि कक्षा 6 अथवा अन्य कक्षाओं में यदि स्थान रिक्त हो तो राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये प्रश्न पत्र के आधार पर पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रम के अनुसार किया जायेगा।
  - v. कक्षा 1 से संचालित होने वाले विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 में नामांकन लिया जा सकता है।
  - vi. कक्षा 1 से 12 तथा कक्षा 9 से 12 तक संचालित विद्यालयों में कक्षा 11 में नामांकन कक्षा 10 में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर मेधा क्रम तैयार कर लिया जायेगा। कक्षा 11 में संबंध जिले द्वारा विज्ञान/कला/कॉमर्स स्ट्रीम में नामांकन विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता, वर्ग कक्षा तथा बच्चों के आवेदन के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
4. जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों में जहां बाल वाटिका एवं कक्षा 1 में नामांकन उपरोक्त दिशा-निदेश के अनुरूप लिया जाना है के लिए नामांकन हेतु विस्तृत दिशा-निदेश इस पत्र के साथ **परिशिष्ट-क** के रूप में संलग्न किया गया है, जिसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
5. कक्षा 6 एवं अन्य कक्षाओं जहां कक्षा का संचालन पहली बार करने का निर्णय लिया जा रहा है, में राज्यस्तरीय चयन परीक्षा का आयोजन JCERT के द्वारा किया जायेगा, तदनुसार मेधा सूची तैयार की जायेगी, इस आलोक में निम्न प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :-
- i. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर दिनांक 14.02.2024 तक रिक्ति का कक्षावार निर्धारण शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु नामांकन पर विचार करने हेतु तैयार करेंगे।



An ISO 9001:2015 certified



## झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834004

दूरभाष:- 0651-2444501, 2444502

ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

11. उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन हेतु निम्नांकित समय-सारणी का अनुपालन किया जाएगा :-

S No.	Admission Milestone	Date
1	Release of guideline to District Education Officers under SoEs	12.02.2024
3	Submission of class wise vacancy to State Project Office (JEPC) for classes as per guidelines stated for admission	14.02.2024
4	Publication of Advt. by District and State Office after finalization of vacancy for admission	16.02.2024
5	Application Submission Period	18.02.2024 to 03.03.2024
6	Scrutiny of Admission form by Scrutiny committee headed by DEO, where all SoE principal/ headmaster of the District and SDEO will be member.	04.03.2024 to 05.03.2024
7	Publication of Provisional list including deficiency statement if any for compliance	06.03.2024
8	Compliance period for parents to remove deficiency in application and its submission to DEO office.	07.03.2024 to 09.03.2024
9	Conduct of Admissoin Test	11.03.2024
9	Publication of School wise 1 <sup>st</sup> Merit list for Admission in various classes for which Application have been invited.	20.03.2024
10	Admission of children in SoEs as per selection list.	21.03.2024 to 31.03.2024
11	Orientation of Children and start of academic session under CBSE Curriculum based on NCERT books	01.04.2024

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए अपने जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाए।

*Handwritten signature*  
17/02/24

*Handwritten signature*  
12/02/24

(किरण कुमारी पासी)  
राज्य परियोजना निदेशक।

ज्ञापांक : ME/01/1183/2023/465

दिनांक : 13/02/2024

प्रतिलिपि: सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि: सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/वार्डेन/प्रभारी प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Handwritten signature*

(किरण कुमारी पासी)  
राज्य परियोजना निदेशक।